


04-09-25 पत्रावली पेश हुई। वकील गार्थी अनुपस्थित।

वकील गार्थी को बार-बार अपसर देने के उपरान्त भी अगार्थिणा की तलबी नहीं कराई गई है और ना ही रजि० नोटिस तलवाना पेश किया गया है इस प्रकार वकील गार्थी द्वारा आदेश-9 नियम-5 CPC के अवधानों की पालना नहीं की गई है अतः गार्थी का यह अर्थापत्र तलबी के अभाव में इसी स्तर पर स्थापित किया जाता है। फावली बाद तुरतीब तकमील लेकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर लुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार चौहान)
R.A.S.